

प्रेषक

जिला नगर योजनाकार,
रोहतक।

उपायुक्त कार्यालय
रोहतक
आर. के. ई. शुक्ला
क्र.न. 9888
दिनांक 9/8/17

सेवा में,

जिलाधीश
रोहतक।

यादि क्रमांक 2278

दिनांक 14/7/2017

विषय:-

No Objection Certificate development for Development of propose Hindustan Petroleum Corporation Ltd. Retail Outlet on Rohtak-Bhiwani Road NH-709 E near Km Stone 85 (LHS) in plot with Khasra No. 47/14, 6/2/2, 15/1 at Village Baniani, Tehsil Kalanaur, District Rohtak.

हवाला:-

आपके यादि क्रमांक 952-60/पी.एल.बी. दिनांक 27.6.2017 के संदर्भ में।

उपरोक्त हवालावीन पत्र के साथ प्राप्त कागजातों के अध्ययन करने उपरान्त सूचित किया जाता है कि खसरा/किला नं० 47/14, 6/2/2, 15/1, मौजा गाँव बनियानी, तहसील कलानौर, जिला रोहतक इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी नियन्त्रित क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र से बाहर पड़ते हैं यह सूचना निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. जब भी आवेदित स्थल नियन्त्रित क्षेत्र/शहरी क्षेत्र के अर्न्तगत आएगा तो पंजाब अनुसूचित सड़क एवं नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम 1963, (1963 का पंजाब अधिनियम संख्या 41), एवं हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम 1975 के अनुसार स्थल पर धाराएं लागू हो जाएगी तथा इस विभाग से आवश्यक अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।
2. यह सूचना स्थल पर लागू अन्य किसी विभाग के नियमों/अधिनियमों को प्रभावित नहीं करेगी।

C.T.M./D.R.O./D.D.P.O.

M.A.

LA Kgo

E.O.

S.K.

HC (P)

PLA

DRA

DA

PESH

L.F.A.

HRA

D.N.

FRA

VRK

RKE

C.A.

CEA

Surplus

SMALL

SAVING

9/8/17

PC-ATP/NOC

Bharmu
जिला नगर योजनाकार,
रोहतक।